श्री जसजीत सिंह सिद्धू, श्री मनमीत सिंह सिद्धू, श्रीमती गुरप्रीत सिद्धू एवं श्रीमती पुष्पिंदर सिद्धू, पार्टनर्स, मैसर्स हिम केमिकल्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, गांव एवं डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 931, 935, एवं 936, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–39–91 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 63,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 28.07.2025 को दोपहर 02:30 बजे, श्री जसजीत सिंह सिद्धू, श्री मनमीत सिंह सिद्धू, श्रीमती गुरप्रीत सिद्धू एवं श्रीमती पुष्पिंदर सिद्धू, पार्टनर्स, मैसर्स हिम केमिकल्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, गांव एवं डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), के द्वारा खसरा संख्या 931, 935, एवं 936, मौजा व मोहाल बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–39–91 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 63,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर राजीव गांधी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, गांव एवं डाकघर बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उपायुक्त ऊना एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, एस.डी.एम. हरोली, खनन अधिकारी ऊना, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रंस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की गई।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्ज चंडीगढ़ पोल्यूशन टेस्टिंग लेबोरेटरी, मोहाली (पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले / सुझाव	उत्तर
1.	श्री मंजीत सिंह, गांव गुरपलाह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना के अंदर आने वाली सारी भूमि गांव बाथड़ी में है और इसका ना कैलुआ गांव से कोई संबंध है और ना किसी और गांव से। उन्होनें बेला बाथड़ी मे लगे हुए उद्योगो के यहां के गांवो को मिले फायदो का वर्णन किया। उन्होनें बताया कि जिस बैठक हॉल में यह जनसुनवाई आयोजित की जा रही है, उसके निर्माण पर लगभग ₹15 करोड़ व्यय हुआ है, जो उद्योगों एवं उद्योग विभाग के योगदान से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बताया जा रहा है कि यह भूमि पूर्व में पशुओं के चरागाह के रूप में प्रयुक्त होती थी। उन्होने कहा कि आज इस भूमि पर स्थापित उद्योगों के कारण ही लगभग 50,000 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त है। पूर्व में यहाँ के लोग अन्य राज्यों में कार्य करने जाते थे, परतु उद्योग स्थापित होने से उन्हें यहीं पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। उन्होनें कहा कि यह रोजगार यहां लगने वाले उद्योगो ने दिया है।	

		उन्होंनें कहा कि उद्योग के लगने से इलाके में जमीन के भाव भी बढें है जिसका फायदा भी यहां के लोगो को ही हुआ है। उन्होनें बताया कि पहले 2005 में यहां की जमीन का भाव 20000 रुपये प्रति कनाल हुआ करता था परन्तु उद्योगो के कारण आज यहां 2 लाख रुपये प्रति मरला भाव मिल रहा है। उन्होनें कहा कि जमीन के भाव इतने है कि लोग अपने 1 मरला जमीन पर भी खंभे नही लगाने देते, जबकि उनकी 200 कनाल भूमि पर 133 केवीए लाईन के खंभे लगे है। इसके अलावा उन्होनें कहा कि आईपीएच की 06 फीट चोडी पाइप लाइनें भी उनके खेतो से होकर ही गुजरती है। उन्होनें अपना योगदान बताते हुए कहा कि वर्ष 2015 में पिछली पंचायत के कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्वयं 1000 पेड़ लगवाए थे, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस क्षेत्र का विकास केवल उद्योगों के कारण हुआ है। उदाहरण स्वरूप, 2015 से 2025 के बीच यहाँ लाखों रुपये की लागत से अनेक आवासीय भवन बने हैं। जिन लोगों के पास पहले मोटरसाइकिल तक नहीं थी, उनके पास आज कई गाड़ियाँ हैं। यही स्थिति यहाँ के प्रधानों के परिवारों की भी है। यह सब उद्योगों की ही देन है। उन्होनें कहा कि प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक भी पिछले 30–35 वर्षों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और उन्होनें भी यहां लोगो को रोजगार दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रस्तावित लीज पूरी तरह नियमों के अनुसार हो रही है और इसे स्वीकृति मिलनी भी चाहिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि पुल के पास पानी की निकासी का स्तर उचित रूप से बनाया जाए जिससे पानी का निकास सही से हो। उन्होनें कहा दोनों ओर चैनेलाइजेशन का कार्य 30–35 मीटर के दायरे मे आगे बढ़ाया जाए, ताकि स्थानीय लोगों की भूमि को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो।	
2.	श्री प्रताप सिंह, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि क्रशरों का मुद्दा विकास से सीधा जुड़ा है और सरकार के अधिकांश विकास कार्य इनके बिना संभव नहीं हैं, इसलिए इनका होना आवश्यक है। उन्होंने उल्लेख किया कि क्षेत्र में प्रदूषण में औद्योगिक इकाइयों का भी बड़ा योगदान है, परंतु दोष केवल क्रशरों को ही दिया जा रहा है, जबकि वायु और जल प्रदूषण में इनका प्रभाव उद्योगों की तुलना में काफी कम है। उन्होंने बताया कि परियोजना प्रस्तावक के क्रशर से प्राप्त सामग्री का उपयोग गाँव की लगभग हर गली और भवन निर्माण में हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि खनन से कुछ हानि भी होती है, किंतु यह आवश्यक है कि खनन केवल सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों के अनुसार ही किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि पानी की निकासी के लिए खड्ड का चैनेलाइजेशन किया जाए और उसके साथ कच्चा मार्ग भी बनाया जाए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि भविष्य की जनसुनवाइयों में उद्योगों को भी बुलाया जाए क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में उनका भी योगदान है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वायु एवं जल प्रदूषण की समय–समय पर जांच की जाए और संबंधित सरकारी विभाग नियमित रूप से यह सुनिश्चित करें कि समस्त कार्य उनकी अधिसूचित गाइडलाइनों के अनुरूप ही हो रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में स्टोन क्रशरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भविष्य में भी इनकी आवश्यकता है। तथापि, यह भी उतना ही आवश्यक है कि संपूर्ण खनन कार्य केवल नियमों एवं स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार ही किया जाए।	

3.	श्री मोहन शर्मा, गांव बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने पूछा कि प्रस्तावित खनन पट्टे आबादी क्षेत्र से कितनी दूरी पर हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि प्रशासन खननकर्ताओं को निर्देश दे कि वे अपनी खनन साइट की सीमा पर कांटेदार तार या उचित बाड़बंदी करें। यह बाड़बंदी इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई बार खनन क्षेत्रों में जंगली जानवर और मवेशी गिरकर मर जाते हैं, जिसके लिए मुआवजा भी देना पड़ता है। उन्होंने उल्लेख किया कि पट्टे क्षेत्र में खनन कार्य तीन चरणों में, क्रमबद्ध तरीके से कुछ मीटर तक किया जाना प्रस्तावित है। किंतु वास्तविकता यह है कि अनुमति मिलने के बाद अक्सर खनन कार्य क्रमबद्ध ढंग से नहीं होता, बल्कि कई बार 50–50 मीटर तक के सीधे गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इस पर उन्होंने आग्रह किया कि प्रशासन समय–समय पर निरीक्षण करे और सुनिश्चित करे कि खनन कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो। उन्होंने कहा कि यह सच है कि खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाता है, किंतु उनमें से कई पौधे बड़े होकर विकसित नहीं हो पाते। इसलिए इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि लगाए गए पौधे सुरक्षित रहें और पूर्ण विकसित पेड़ों में परिवर्तित हों।	
4.	श्री हरनाम सिंह, गांव बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होने कहा कि जिन खसरा नंबरों पर खनन किया जाएगा तथा जहाँ वृक्षारोपण प्रस्तावित है, वे खसरे निजी मालिकों की भूमि में आते हैं। ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन वृक्षों की देखरेख एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो उन पौधों की चारदीवारी–बाड़बंदी की जाए ताकि पशु उन्हें नुकसान न पहुँचा सकें, अथवा इसमे किसी की जबावदेही सुनिश्चित की जाए।। उन्होंने आगे कहा ,कि यदि वृक्षारोपण निजी भूमि पर किया जाता है तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भूमि–मालिक की होनी चाहिए और यदि वृक्षारोपण सरकारी भूमि पर किया जाता है तो उसकी देखभाल पंचायत द्वारा की जानी चाहिए।	एडीसी महोदय ने परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता को निर्देश दिया कि इस परियोजना की ईएमपी/ईआईए रिपोर्ट में वृक्षों की देखभाल एवं रखरखाव के लिए आवश्यक खर्च का भी प्रावधान किया जाए, ताकि इस संबंध में ठोस प्रस्ताव तैयार किया जा सके। एडीसी महोदय ने परियोजना प्रस्तावक को भी निर्देश दिए कि वह अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट में किए गए वृक्षारोपण के रखरखाव हेतु प्रति वृक्ष लागत का आकलन कराए और इस दिशा में ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करे। परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि वृक्षारोपण की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी तथा इसके रोपण और रखरखाव के लिए आवश्यक व्यय का प्रावधान पहले से ही रखा गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण केवल खनन क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अन्य उपयुक्त स्थलों पर भी किया जाएगा।
5.	श्री गणपति गौतम, पत्रकार, हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने बताया कि आज भी हमारे क्षेत्र में कई पर्यावरण–प्रेमी लोग हैं, जो फलों के बीज एकत्रित करके रखते हैं और वर्षा ऋतु में खाली पड़ी जमीन पर इन्हें बो देते हैं। इन बीजों से पौधे निकलते हैं, लेकिन जैसे ही वे कुछ बड़े होते हैं, कुछ लोग उन्हें काटकर चूल्हों में जलाने के लिए ले जाते हैं।	

		उन्होंने कहा कि पौधारोपण कर देना और उनके विकसित होने तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करना तो हो जाएगा। परन्तु इनके साथ ही, यह भी जरूरी है कि तैयार पेड़ों को कोई काटकर न ले जाए, इसके लिए भी स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।	
6.	श्री के. के. राणा, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि इस जनसुनवाई कार्यक्रम, जिसमें प्रस्तावित खनन परियोजनाओं के विषय पर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, के संदर्भ में मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि जब से हमारे गाँव में क्रशर लगे हैं, तब से इस इलाके का पर्यावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है। उन्होंने पर्यावरण के खराब होने से गाँव में हुए दुष्परिणामों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे गाँव और आसपास के गाँवों का तापमान सामान्य से 2–3 डिग्री बढ़ चुका है, जिसके कारण बीमारियाँ भी बढ़ गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गाँव वालों का विरोध क्रशर से नहीं, बल्कि अवैध खनन से है,। उन्होंने कहा कि यहाँ लंबे समय से खनन हो रहा है और गाँव वाले लगातार क्रशर मालिक से कहते रहे हैं कि जो भी खनन करें, वह निर्धारित नियमों के तहत ही करें। अवैध खनन के बारे में हमने खनन विभाग को भी अवगत कराया, परंतु कार्रवाई करने के बजाय अक्सर ग्रामीणों को ही डराया–धमकाया जाता है। उन्होंने पिछले साल आई भयानक बाढ़ का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र की इंडस्ट्री हुई थी। बाढ़ के नुकसान के बाद यहाँ लगी कई उद्योग इकाइयाँ दोबारा पहले की तरह स्थापित नहीं हो पाईं। जहाँ पहले हर साल 4–5 नई इंडस्ट्री आती थीं और रोजगार बढ़ता था, वहीं अब बाढ़ के डर से कोई उद्योगपति यहाँ कारखाना नहीं लगाना चाहता। उन्होंने इलाके के बिगड़े पर्यावरण को बाढ़ का मुख्य कारण बताया और कहा कि यह पर्यावरण खनन के कारण ही खराब हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अब हमारे गाँव में दमा और टीबी के मरीज बढ़ रहे हैं और इसका मुख्य कारण स्टोन क्रशर में पत्थर की पिसाई से निकलने वाली धूल है। लोगों का रहन–सहन भले ही सुधरा हो, लेकिन अस्थमा के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि खनन का सबसे बड़ा नुकसान गाँव में आने वाली बाढ़ें हैं। अवैध खनन के कारण गाँव में बनाई गई चैनेलाइजेशन व्यवस्था खराब हो गई। न तो जंगल बचे और नए पेड़ लगाना तो दूर की बात है, जो पेड़ खड्ड में थे, वे भी नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि आज हमारे गाँव का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा खनन की चपेट में आ चुका है। हम नहीं चाहते कि पूरा गाँव खनन क्षेत्र में आ जाए, क्योंकि हमें यहीं रहना है। यदि खनन और बढ़ा तो हमें गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अभी पिछले हफ्ते ही हमारे एक पंचायत सदस्य के घर के पास निजी भूमि पर इसी क्रशर का खनन शुरू हो गया था, जिसे मोहल्ले के लोगों ने एकजुट होकर रोका। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ कानूनी तरीके से खनन होती ही नहीं है और जो अवैध खनन होता है, उसके कारण यहां का पर्यावरण बिगड़ रहा है और पर्यावरण के बिगड़ने से अगली पीढ़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण के कारण गाँव के कई बच्चे, जो अच्छी नौकरियों में हैं, अब गाँव में रहना नहीं चाहते और बाहर ही बसने लगे हैं। उन्होंने जोड़ा कि सुबह–सुबह टहलने जाने वाले लोग देखते हैं कि पूरा वातावरण प्रदूषित रहता है और इंडस्ट्री की तुलना में कहीं अधिक धूल स्टोन क्रशर और खनन से उड़ती है अंत में उन्होंने दोहराया कि खनन के कारण इस क्षेत्र के पर्यावरण	

		को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजनाओं पर कड़ी आपत्ति है।	
7.	श्री नरेश राणा, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि पिछली जनसुनवाई में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया था कि लगभग 6000 पेड़ लगाए गए हैं। उन्होंने इसे सराहनीय बताया, किंतु इस पर आग्रह किया कि किसी की स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि वास्तव में पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं। दूसरे, उन्होंने यह भी कहा कि यह जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए कि लीज अवधि के दौरान यह देखा जाए कि परियोजना प्रस्तावक खनन के उपरांत बने गड्ढों को मिट्टी से भरकर समतल कर रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी तय करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आज तो यहाँ अधिकारी उपस्थित हैं, जिनसे सीधे प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में परियोजना चलने पर यदि कोई अनियमितता होती है तो ग्रामवासी किसके पास जाएंगे।	एडीसी महोदय ने परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता को निर्देश दिया कि प्रस्तावित परियोजना की अंतिम रिपोर्ट में यह सुझाव भी शामिल किया जाए कि परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग हो तथा प्रत्येक पाँच वर्ष में यह ऑडिट किया जाए कि कितने पेड़ लगाए गए और उनमे से कितने जीवित हैं। परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत परियोजना की अनुपालन रिपोर्ट प्रत्येक 6 माह में सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाती है, जिसमें लगाए गए पेड़ों की संख्या का भी विवरण दिया जाता है।
8.	श्रीमती सुरेखा रानी, प्रधान, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि वह ग्रामवासियों द्वारा इस कार्यक्रम में रखे गए सभी सुझावों का समर्थन करती हैं तथा प्रशासन से आग्रह करती हैं कि इन पर पूर्ण विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।	
9.	श्री विजय राणा, सदस्य, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि आज आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में वे संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर अपना मत प्रस्तुत करना चाहते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि चर्चा का मुख्य विषय प्रस्तावित लीज है और उसी पर केंद्रित रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो भी लीज दी जाए, वह सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य विभागों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामवासी इस बात से आहत हैं कि लीज क्षेत्र में खनन का कार्य उन शर्तो के अनुरुप नही होता जिन पर लीज आबंटित की जाती है और वास्तविकता में वहां और ही कार्य होता है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पिछले 40 वर्षों से क्रशर संचालित हैं और आगे भी संचालित होते रहेंगे, किंतु मूल मुद्दा यह है कि प्रस्तावित लीज पूरी तरह से निर्धारित मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई, तो ग्रामवासियों को इसका विरोध करने और आगे आवश्यक कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है।	परियोजना प्रस्तावक के परामर्शदाता ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में खनन का कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार तथा वैज्ञानिक तरीके से ही किया जाएगा।
10.	श्री पवन ठाकुर, ग्राम पंचायत बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने कहा कि वे गाँव बाथू के निवासी हैं, जहाँ आज प्रशासन ने खनन के विषय पर चर्चा के लिए खुली अदालत आयोजित की है। उन्होंने शिकायत की कि इन पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रमों की पूर्व सूचना गाँववासियों को नहीं दी गई। आज इस कार्यक्रम की जानकारी केवल समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के माध्यम से ही लोगों तक पहुँची, अन्यथा किसी को इसकी सूचना नहीं थी। उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य में जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो उसकी पूर्व सूचना पंचायत के माध्यम से सभी गाँववासियों को दी जाए। उन्होंने कहा कि गाँव में पिछले 50 वर्षों से क्रशर संचालित हो रहे हैं और इनसे ग्रामवासियों को लाभ भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने यह	

		भी कहा कि वे खनन के विरोध में नही हैं। उन्होनें कहा कि खनन से हो रहे नुकसान के लिए स्टोन क्रशर नहीं बल्कि खनन विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह खनन विभाग का दायित्व है कि जिस समय खनन नियमों के अनुसार अनुमत नहीं है, उस अवधि में खनन न होने पाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कुछ स्थानों पर हो रहे खनन की सूचना उन्होंने कई बार खनन विभाग को दी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर और खनन दोनों आवश्यक हैं, परंतु विभाग से यह अनुरोध है कि भविष्य में होने वाला समस्त खनन नियमों के अनुरूप ही हो तथा खनन विभाग इसके लिए पूर्ण सतर्कता बरते।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान लिखित मे निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुए:

1. हरोली ब्लॉक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा, इसके अध्यक्ष श्री राकेश कौशल के माध्यम से प्रस्तुत अभ्यावेदन, जो गांव बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) स्थित मैसर्ज हिम केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज की खनन पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में आपत्तियों से संबंधित है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

महेन्द्र पाल गुर्जर
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)

Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu, Sh. Manmeet Singh Sidhu, Smt. Gurpeet Sidhu and Smt. Pushpinder Sidhu, Partners of M/s Him Chemicals & Allied Industries, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 63,000 MT/year at Khasra Numbers 931, 935 & 936 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 02-39-91 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 28/07/2025 at 02:30 PM at Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Jasjit Singh Sidhu, Sh. Manmeet Singh Sidhu, Smt. Gurpeet Sidhu and Smt. Pushpinder Sidhu, Partners of M/s Him Chemicals & Allied Industries, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) for extraction of sand, stone and bajri @ 63,000 MT/year at Khasra Numbers 931, 935 & 936 falling in Mauza & Mohal Bathri, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP) over an area measuring 02-39-91 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 28/07/2025 at 02:30 PM at the Rajiv Gandhi Common Facility Center, VPO Bathu, Tehsil Haroli, Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, SDM Haroli, Mining Officer Una, RTO Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their Consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC Una cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Chandigarh Pollution Testing Laboratory, Mohali (Punjab) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the Consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Manjeet Singh, Village Gurpalah, Tehsil Haroli, District	He stated that the entire land falling under the proposed mining project is situated in Village Bathri, and it has no	

	Una (H.P.)	relation either with Kailua village or with any other village. He described the benefits received by local villages from the industries established in Bela Bathri. He informed that the meeting hall where this public hearing is being held has been constructed at a cost of about ₹15 crore, which was made possible through the contribution of industries and the Industries Department. He mentioned that it is being said that this land was earlier used as pasture for cattle. He further stated that today, because of the industries established on this land, nearly 50,000 people have local employment opportunities. Earlier, the people of this region used to go to other states for work, but after the establishment of industries, they have been able to find employment here itself. He emphasized that this employment has been provided by the industries set up here. He added that due to the establishment of industries, land prices in the area have also increased, which has benefitted the local people. He explained that in 2005, the rate of land here used to be ₹20,000 per kanal, but due to industries, the rate today has risen to ₹2 lakh per marla. He said that land prices are so high that people do not allow even a pole to be installed on one marla of their land, whereas on his 200 kanal land, poles of the 133 KVA line have been installed. In addition, he pointed out that a 6-feet-wide IPH pipeline also passes through his fields. Highlighting his contribution, he mentioned that during tenure of last Panchayat in 2015, he himself had got 1,000 trees planted, which can still be seen today. He also noted that the development of this area has been possible only because of the industries. For example, between 2015 and 2025, many residential buildings costing lakhs of rupees have been built here. People who earlier did not even own a motorcycle now own several vehicles. The same is the situation with the families of the village heads as well.	

		All this is the contribution of industries. He further stated that the proponent of the proposed mining project has also been active in this region for the past 30–35 years and has provided employment to people here. He mentioned that the currently proposed lease is being undertaken fully in accordance with the Rules, and it should also be granted approval. He requested the Government that the level of water drainage near the bridge should be properly maintained so that water flows out correctly. He further stated that channelization work should be extended by 30–35 meters on both sides so that no damage occurs to the land of local people.	
2.	Sh. Pratap Singh, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He stated that the issue of crushers is directly linked with development, and most of the Government's development works are not possible without them; therefore, their presence is necessary. He mentioned that industrial units also contribute significantly to pollution in the area, yet only crushers are being blamed, whereas their impact on air and water pollution is much less compared to industries. He informed that the material obtained from the crusher of the Project Proponent has been used in the construction of almost every street and building of the village. He admitted that mining does cause some damage, but emphasized that it is essential that mining be carried out only as per the standards and Rules laid down by the Government. He suggested that for proper water drainage, the Khad should be channelized and a kacha (unpaved) road should also be constructed along with it. He also urged that in future public hearings, industries should also be called as they too contribute to environmental pollution. He further suggested that air and water pollution should be checked from time to time, and the concerned Government departments should regularly ensure that all activities are	

		being conducted strictly in accordance with their notified guidelines. In conclusion, he said that stone crushers have played an important role in the development of the area and will continue to be required in the future as well. However, it is equally necessary that all mining activities be carried out only in accordance with the Rules and approved provisions.	
3.	Sh. Mohan Sharma, Village Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He inquired about the distance of the proposed mining lease area from the habitation (residential) zone. Along with this, he suggested that the administration should direct the miners to erect barbed wire fencing or proper boundary fencing around their mining sites. Such fencing is necessary because many times wild animals and cattle fall into the mining pits and die, for which compensation also has to be paid. He pointed out that in the lease area, mining work is proposed to be carried out in three phases, in a systematic manner, and up to a few meters at a time. However, the reality is that after obtaining permission, mining is often not conducted in an orderly manner; instead, sometimes straight deep pits of even 50 meters depth are created. On this, he urged that the administration should conduct inspections from time to time and ensure that mining is carried out strictly according to the prescribed Rules. He stated that it is true that plantation is done in the mining areas, but many of the saplings do not grow into mature plants. Therefore, special attention should also be paid to ensuring that the planted saplings survive and develop into fully grown trees.	
4	Sh. Harnam Singh, Village Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He stated that the khasra numbers on which mining is proposed to be carried out, as well as those where plantation has been proposed, fall within privately owned land. In such a situation, it should be ensured who will be responsible for the care and protection of those trees. He suggested	The ADC Una directed the Consultant of the Project Proponent to make a provision in the EMP/EIA report of this project for the necessary expenditure towards the care and maintenance of trees, so that a concrete proposal in this

		that either fencing/walling should be provided around those saplings so that animals cannot damage them, or accountability should be clearly fixed on someone. He further stated that if plantation is carried out on private land, then its maintenance responsibility should rest with the landowner; and if plantation is carried out on Government land, then its maintenance should be the responsibility of the Panchayat.	regard may be prepared. The ADC Una further directed the Project Proponent to assess the per-tree maintenance cost for the plantation carried out in each of its projects and to ensure concrete action in this direction. The Consultant of the Project Proponent replied that the responsibility of plantation will rest with the Project Proponent and that necessary provision for expenditure towards plantation and its maintenance has already been made. He also clarified that plantation will not remain confined only to the mining area but will also be undertaken at other suitable sites.
5.	Sh. Ganpati Gautam, Journalist, Haroli, District Una (H.P.)	He stated that even today, there are many environment-conscious people in our region who collect fruit seeds and sow them on vacant land during the rainy season. These seeds sprout into saplings, but as soon as they grow a little, some people cut them down and use them as firewood for their stoves. He said that while plantation and ensuring their care until they grow is achievable, it is equally important to fix clear responsibility to ensure that once the trees are fully grown, no one cuts them and takes them away.	
6	Sh. K.K. Rana, Ex-Pradhan, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He stated that in this public hearing programme, where objections and suggestions regarding the proposed mining projects are being invited, he wishes to present his views. He mentioned that ever since crushers were established in their village, the environment of the area has been completely degraded. Referring to the adverse impacts of environmental deterioration on the village, he said that the temperature of their village and surrounding villages has risen by 2–3 degrees above normal, due to which diseases have also increased. He clarified that the villagers are not	

		against crushers as such, but against illegal mining. He said that mining has been going on here for a long time, and villagers have been consistently telling the crusher owner that whatever mining is carried out, it must be strictly within the prescribed Rules. They also informed the Mining Department about illegal mining, but instead of taking action, often villagers themselves are threatened and intimidated. Referring to the devastating floods of last year, he said that the industries of the area were the most affected. After the flood damage, many of the industrial units set up here could not be re-established as before. Where earlier 4–5 new industries used to come every year and employment increased, now due to the fear of floods, no industrialist wants to set up a factory here. He identified the degraded environment as the main cause of floods in the area and said that this environmental damage has happened because of mining. He further stated that now cases of asthma and tuberculosis are increasing in their village, and the main cause is the dust generated from stone crushing. Even though people's standard of living has improved, asthma cases have also increased. He stated that the biggest loss from mining is the floods affecting the village. Due to illegal mining, the channelization system created in the village has been damaged. Forests have been lost, and far from planting new trees, even the trees that were standing in the Khad have been destroyed. He said that today, nearly 50 percent of their village has come under the impact of mining. They do not want the entire village to fall within the mining zone because they have to continue living there. If mining increases further, they will be forced to leave their village. Giving an example, he said that only last week, mining by this crusher had started on private land near the house	

		of one of their Panchayat members, which was stopped by the local residents coming together. He categorically said that legal mining does not happen here at all, and it is illegal mining which is causing environmental damage, and this environmental degradation is affecting future generations. He also said that due to pollution, many children of the village who are employed in good jobs now do not want to live in the village and have started settling outside. He added that people who go for morning walks observe that the whole atmosphere remains polluted, and compared to industries, far more dust is generated from stone crushing and mining. In conclusion, he reiterated that mining has caused extensive damage to the environment of this area, and he strongly objects to the proposed mining projects.	
7.	Sh. Naresh Rana, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He stated that in the previous public hearing, the Project Proponent had informed that approximately 6,000 trees had been planted. He appreciated this, but insisted that a clear responsibility should be fixed to ensure whether the trees are actually being planted or not. Secondly, he said that responsibility should also be fixed to monitor whether, during the lease period, the Project Proponent is filling the pits formed after mining with soil and leveling them or not. He stressed that fixing such responsibility is necessary because today officials are present here and can be questioned directly, but in the future, when the project is operational, if irregularities occur, villagers will have no one to approach.	The ADC Una directed the Consultant of the Project Proponent to include this suggestion in the final report of the proposed project, ensuring that the project is regularly monitored and that every five years, an audit be conducted to verify how many trees have been planted and how many of them have survived. The Consultant of the Project Proponent responded that after receiving approval, a compliance report of the project is submitted every six months to the competent authority, which also contains details of the number of trees planted.
8.	Smt. Surekha Rani, Pradhan, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	She stated that she supports all the suggestions put forth by the villagers in this programme and requested the administration to give them due consideration and take necessary action accordingly.	
9.	Sh. Vijay Rana,	He stated that in this important	The Consultant of the Project

	Member, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	meeting being held today, he wishes to briefly present his views on a few points. He mentioned that the main subject of discussion is the proposed lease, and it is necessary to remain focused on that. He said that whatever lease is granted must be strictly in accordance with the standards prescribed by the Government, the Pollution Control Board, and other departments. He further said that the villagers are aggrieved because mining work in the lease area is often not carried out in accordance with the conditions on which the lease is allotted, and in reality, entirely different practices are followed there. This matter requires special attention. He informed that crushers have been operating here for the last 40 years and will continue to operate in the future as well, but the fundamental issue is that the proposed lease should fully conform to the prescribed standards. If any irregularity is found in this regard, the villagers have every right to oppose it and to take necessary action further.	Proponent replied that the mining work in the proposed lease area will be carried out strictly as per the prescribed standards and in a scientific manner.
10.	Sh. Pawan Thakur, Gram Panchayat Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.)	He stated that he is a resident of Village Bathu, where today the administration has organized an open hearing to discuss the issue of mining. He complained that prior information of these environmental public hearing programmes was not provided to the villagers. Today, the information about this programme reached people only through the news published in the newspaper; otherwise, no one was informed. He urged that in the future, whenever such a programme is organized, prior information should be given to all villagers through the Panchayat. He said that crushers have been operating in the village for the last 50 years, and the villagers have also received benefits from them. He further clarified that he is not against mining. He emphasized that for the damages caused by mining, the stone crushers are not responsible, but rather the negligence of the Mining	

		Department is to be blamed. He stated clearly that it is the responsibility of the Mining Department to ensure that mining does not take place during periods when it is not permitted under the Rules. He informed that he had repeatedly given information to the Mining Department about mining activities being carried out at certain places, but no action was taken. In conclusion, he said that both stone crushers and mining are necessary, but requested that the Department ensure that all future mining is carried out strictly in accordance with the Rules and that the Mining Department remain fully vigilant in this regard.	

During the proceedings of the public hearing, the following written letter was received:

1. Representation submitted by the Haroli Block Industries Association through its President, Shri Rakesh Kaushal, relating to objections regarding the renewal of mining leases of M/s Him Chemical & Allied Industries, situated at Village Bathu, Tehsil Haroli, District Una (H.P.).

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)